पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस विज्ञप्ति

विभिन्न थाना क्षेत्रों से वांछित में कुल 12 अभियुक्त एवं एन0बी0डब्लू0 में कुल 04 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक–19.03.2024

दिनांक 18/19.03.2024 को थाना आशियाना 05, अलीगंज 01, अमीनाबाद 01, बीबीडी 02, चिनहट 01, गोसाईगंज 01, मोहनलालगंज 01 अभियुक्त एवं एन0बी0डब्लू0 में थाना गोसाईगंज 02, माल 01, निगोहां 01 अभियुक्त गिरफ्तार। इस प्रकार वांछित में कुल 12 एवं एन0बी0डब्लू0 में 04 अभियुक्त गिरफ्तार।

भा0द0वि0

थाना इन्दिरानगर–दिनांक 19.03.2024 को थाना इन्दिरानगर द्वारा बताया गया कि श्री जीवित कुमार पुत्र स्व0 जगदीश प्रसाद निवासी–सूगामऊ थाना इन्दिरानगर लखनऊ ने थाना इन्दिरानगर पर सूचना दिया कि दिनांक 18/19.03.2024 को रात्रि में उसके भाई अखिलेश उम्र करीब 22 वर्ष ने अपने उक्त घर में जीने के पास बने कमरे के छत में लगे पंखे के कुण्डे से रस्सी का का फंदा बनाकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया है। आज दिनांक 19.03.2024 को समय करीब 06.00 बजे उसके परिवार के लोगों के जानकारी हुयी। **इस सूचना पर एस0आई0 श्री विनय कुमार मिश्रा मो0नं0 8840903974 थाना इन्दिरानगर द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। जिनके द्वारा बताया गया कि मृतक अविवाहित था।**

थाना कृष्णानगर–दिनांक 19.03.2024 को थाना कृष्णानगर द्वारा बताया गया कि वादी श्री रवीन्द्र वर्मा पुत्र स्व0 सन्तराम वर्मा नि0 555क/13 कनौसी थाना कृष्णानगर लखनऊ ने थाना श्री रवीन्द्र वर्मा स्व0 सन्तराम वर्मा नि0–555क/13 कनौसी थाना कृष्णानगर पर सूचना दिया कि दिनांक 16.03.2024 को दिन में करीब 02.00 बजे अपने गांव जनपद बस्ती के लिए अपने लखनऊ स्थित घर से निकला था। वादी दिनांक 18.03.2024 को समय करीब 02.50 बजे दिन में जब अपने लखनऊ स्थित उक्त घर पर वापस आया तो देखा कि उसके उक्त घर का ताला टूटा हुआ था और घर में लगे सभी कैमरों के तार कटे हुये थे। अज्ञात चोरों द्वारा वादी के उक्त घर में घुसकर घर में रखे सभी कीमती जेवरात व नगदी को चोरी कर लिया गया है। **इस सूचना पर थाना कृष्णानगर पर मु0अ0सं0 108/2024 धारा 380 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।**

डी0सी0पी0 मध्य

जुआ खेलते समय गिरफ्तार।

थाना हसनगंज–दिनांक 19.03.2024 को का0 अमजद खान थाना हसनगंज द्वारा दौराने गस्त अभियुक्त 01.प्रमोद कुमार पुत्र स्व0 बाबूलाल निवासी 497/67 बाबूगंज नयी बस्ती थाना हसनगंज लखनऊ 02. राहुल बाल्मिकी पुत्र विश्वनाथ निवासी सी–2/7 निरालानगर लाल कालोनी थाना हसनगंज लखनऊ को आपस में रूपयों की हारजीत की बाजी लगाकर ताश के पत्तों द्वारा जुआ खेलते व खिलवाते समय सार्वजनिक स्थान अलीगंज फ्लाई ओवर के पास थाना हसनगंज लखनऊ से गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से 52 अदद ताश के पत्ते, 1900/– रूपये मालफड व जामातलाशी 700/–रूपये नगद बरामद कर थाना हसनगंज पर अभियोग पंजीकृत किया गया।

डी0सी0पी0 पूर्वी

गुण्डा एक्ट की कार्यवाही।

थाना बीबीडी –दिनांक 18.03.2024 को प्रभारी निरीक्षक श्री अजय नारायण सिंह थाना बीबीडी लखनऊ द्वारा अभियुक्त 01–राहुल यादव पुत्र जसकरन यादव निवासी–ग्राम अनौराकला थाना बीबीडी लखनऊ के विरुद्ध थाना बीबीडी पर धारा 3(1) यूपी गुण्डा एक्ट की कार्यवाही की गयी।

भा0द0वि0

थाना गोसाईगंज–दिनांक 20.03.2024 को थाना गोसाईगंज द्वारा बताया गया कि श्री दुर्गेश रजक पुत्र नकुर रजक निवासी–वहतरा थाना पचखेड़ी जनपद विलासपुर राज्य छत्तीसगढ़ हालपता–महेश ब्रिक फील्ड रहमत नगर थाना गोसाईगंज लखनऊ ने थाना गोसाईगंज पर सूचना दिया कि वह उक्त ईंट भट्टे पर ईंट निकासी का काम करता है और सपरिवार उक्त भट्टे पर ही बने टीन शेड के कमरे में रहता है। उसकी शादी दिनांक 22.11.2018 को हुयी थी। दिनांक 19/20.03.2024 को समय करीब 12.30 बजे रात्रि में उसकी पत्नी नन्दिनी उम्र करीब 23 वर्ष ने भट्टे पर बने उक्त कमरे में टीन शेड में लगे बांस से साड़ी का फंदा बनाकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया है। उसने अपनी पत्नी को फंदे से उतारकर दिया है और उक्त घटना के बारे में अपनी पत्नी नन्दिनी के भाई लालू को जरिये मोबाइल फोन सूचना दे दिया है। **इस सूचना पर थाना गोसाईगंज द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।** एस0आई0 श्री चन्द्रशेखर मो0नं0 9451080101 थाना गोसाईगंज द्वारा बताया गया कि मृतका के 02 पुत्र व 01 पुत्री हैं।

थाना विभूतिखण्ड–दिनांक 20.03.2024 को थाना विभूतिखण्ड द्वारा बताया गया कि वादिनी श्रीमती साक्षी राय पत्नी कार्तिकेय राय सिंह निवासी–गर्ल्स हॉस्टल थाना चिनहट लखनऊ ने थाना विभूतिखण्ड पर सूचना दिया कि दिनांक 19.03.2024 को वादिनी अपने उक्त आवास से समय करीब 09,30 बजे सुबह में अपने ऑफिस के लिए ई रिक्शा से निकली थी। रास्ते में हाईकोर्ट के पास 02 अज्ञात महिलायें और 02 लड़कियां ई रिक्शा में आकर बैठ गयीं और वादिनी को रिक्शे में बीच में बैठा दिया। उसके बाद वादिनी लोहिया मोड़ के पास ई रिक्शे से नीचे उतर गयी। वहां से कुछ कदम आगे जाने के बाद वादिनी को पता चला कि उसकी चेन गायब हो गयी है। वादिनी ने वापस ई रिक्शे की तरफ देखा तो वो जा चुका था। वादिनी को सन्देह है कि वादिनी के साथ ई रिक्शे पर जो महिलायें बैठीं थी उन्होने ही ऐसा कार्य किया है। **इस सूचना पर थाना विभूतिखण्ड पर मु0अ0सं0 99/2024 धारा 379 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।**